# न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली
## पीठासीन अधिकारी : डॉ. बजरंग सिंह, आर.ए.एस.

पंचायत निगरानी संख्या : 36/2021

जीसीएमएस नम्बर : 2021/72

| प्रार्थी:– | बनाम | अप्रार्थीगण :– |
|---|---|---|
| तोलाराम पुत्र जेपाराम जाति देवासी निवासी देवासियों की ढाणी वणदार तहसील रानी जिला पाली | | 1. लाबूराम पुत्र केनाराम जाति देवासी निवासी वणदार तहसील रानी जिला पाली राज.<br>2. ग्राम पंचायत वणदार जरिये तत्कालीन सरपंच ग्राम पंचायत वणदार तहसील रानी जिला पाली |

**"पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994"**

उपस्थिति :–

1. प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री चेतन कुमार चौहान।
2. अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री राजेन्द्र सिंह राजपुरोहित।

**–: निर्णय :–**

दिनांक : 30/04/2026

प्रार्थी की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 के तहत ग्राम पंचायत वणदार द्वारा मिसल संख्या 12/1999–2000 दायर दिनांक 15.06.1999, प्रस्ताव संख्या 9 दिनांक 24.07.1999 एवं उसकी पालना में अप्रार्थी लाबूराम के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 2541 दिनांक 10.08.1999 के विरूद्ध पेश की है। निगरानी दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया तथा ग्राम पंचायत का रेकर्ड तलब किया गया। उभयपक्ष अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

अधिवक्ता प्रार्थी ने दौराने बहस निगरानी मीमों में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि अप्रार्थी संख्या 2 के पक्ष में तत्कालीन सरपंच द्वारा 65 बाई 220 फीट का आबादी भूमि का जैर निगरानी पट्टा जारी किया गया। जैर निगरानी आराजी में से 45 बाई 30 फीट का भूखण्ड प्रार्थी का पिछले 50 वर्षों से पुश्तैनी कब्जा है। ग्राम पंचायत ने प्रार्थी के उक्त कब्जासुदा भूखण्ड को शामिल करते हुये जैर निगरानी पट्टा जारी कर दिया। इसके पश्चात् प्रार्थी ने ग्राम पंचायत से अपने कब्जे सुदा भूमि का पट्टा अपनी पत्नी गटिया के पक्ष में जारी करवाया। मेरे पक्ष में जारी पट्टे की भूमि को छोड़कर शेष भूमि ओरण की है और ग्राम पंचायत ने ओरण की भूमि का जैर निगरानी पट्टा जारी कर दिया। वर्तमान में उक्त भूमि सरकारी विद्यालय के उपयोग में आ रही है। ग्राम पंचायत ने पंचायती राज नियमों में वर्णित क्षेत्रफल से अधिक क्षेत्रफल का जैर निगरानी पट्टा जारी कर दिया। मौका निरीक्षण हेतु मनोनीत तीन पंचों में से कंकुबाई के स्थान पर मदनसिंह के हस्ताक्षर है। नक्शा में ग्राम सेवक के तथा आपत्ति नोटिस पर स्वतंत्र गवाहों के हस्ताक्षर नहीं है एवं सम्पूर्ण आदेशिका पर सरपचं के अतिरिक्त किसी अन्य सदस्य के हस्ताक्षर नहीं है। ग्राम पंचायत ने बिना कोई विधिक प्रक्रिया अपनाये पंचायती राज नियमों

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर पाली (राज.)

अति. जिला कलेक्टर, पाली

में वर्णित प्रक्रिया की पूर्णतया अवहेलना करते हुये विधिविरूद्ध तरीके से जारी जैर निगरानी पट्टा जारी किया है, जिसे खारिज फरमावे।

अधिवक्ता अप्रार्थी ने दौराने बहस कथन किया कि प्रार्थी स्वयं के पट्टे की भूमि को आबादी में होना बता रहे है तथा जैर निगरानी पट्टे की शेष भूमि को ओरण की भूमि बता रहे है जबकि इस सम्बन्ध में कोई दस्तावेज पेश नहीं किये है। ग्राम पंचायत ने उक्त सम्पूर्ण भूमि को आबादी भूमि मानते हुये जैर निगरानी पट्टा जारी किया है। अप्रार्थी ने ग्राम पंचायत ने समक्ष नियमानुसार प्रार्थना पत्र पेश किया, जिस पर मिसल दर्ज की जाकर विधिनुसार नक्शा तथा तीन पंचों द्वारा मौका निरीक्षण किया गया। इसके पश्चात् आपत्ति नोटिस जारी किया जाकर, निर्धारित समयावधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होने की दशा में ग्राम पंचायत ने पंचायती राज नियमों के तहत जैर निगरानी पट्टा जारी किया है। प्रार्थी ने बिना किसी विधिक आधारों के जैर निगरानी याचिका पेश की है, जिसे निरस्त फरमावे।

हमने उभयपक्ष अधिवक्ता की श्रवणसुदा बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। जैर निगरानी ग्राम पंचायत वणदार द्वारा मिसल संख्या 12/1999–2000 दायर दिनांक 15.06.1999, प्रस्ताव संख्या 9 दिनांक 24.07.1999 एवं उसकी पालना में अप्रार्थी लाबूराम के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 2541 दिनांक 10.08.1999 के विरूद्ध पेश की है। दौराने बहस अधिवक्ता प्रार्थी का मुख्य उज्र यह था कि ग्राम पंचायत द्वारा प्रश्नगत जैर निगरानी पट्टा विधि के विपरीत ओरण भूमि पर जारी किया गया है, जबकि नियमानुसार ऐसी भूमि पर पट्टा जारी किया जाना अमान्य है। इसके विपरीत, अधिवक्ता अप्रार्थी ने उक्त उज्र का स्पष्ट रूप से खण्डन करते हुये यह निवेदन किया कि सम्बन्धित पट्टा पूर्णतः आबादी भूमि में स्थित भूखण्ड पर ही जारी किया गया है। उक्त परस्पर विरोधी दावों के परीक्षण के दौरान यह महत्वपूर्ण तथ्य उभरकर सामने आया कि प्रश्नगत जैर निगरानी पट्टा एवं प्रार्थी को पूर्व में जारी पट्टा संख्या 5331 के पड़ौस एक समान अंकित है। पड़ौस की यह समानता यह संकेत करती है कि दोनों पट्टे एक ही क्षेत्र से सम्बन्धित है, जिससे यह अनुमान बलवती होता है कि भूमि की प्रकृति में कोई मूलभूत अन्तर नहीं है। प्रार्थी द्वारा अपनी निगरानी मीमों में यह कथन किया कि प्रश्नगत पट्टा उसकी कब्जेसुदा भूमि को सम्मिलित करते हुए जारी किया गया है तथा यह भी कहा गया कि उसकी कब्जे सुदा भूमि जिसका वर्ष 2004 में पट्टा जारी हो रखा है आबादी क्षेत्र में स्थित है जबकि अप्रार्थी के जैर निगरानी पट्टे की शेष भूमि ओरण भूमि में आती है। तथापि, इन कथनों के समर्थन में प्रार्थी द्वारा कोई ठोस, विश्वसनीय एवं अभिलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया। न तो किसी प्रकार राजस्व रेकर्ड, न सीमांकन रिपोर्ट, न ही कोई प्रमाणिक नक्शा या सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी कोई दस्तावेज प्रस्तुत किया गया, जिससे यह स्पष्ट रूप से स्थापित हो सके कि सम्बन्धित भूमि ओरण की श्रेणी में आती है या आबादी से भिन्न हैं। यह भी एक महत्वपूर्ण तथ्य है कि किसी एक ही पट्टे का आंशिक भाग आबादी भूमि में एवं शेष भाग ओरण भूमि में स्थित होना सामान्य प्रशासनिक एवं राजस्व व्यवस्था के अनुरूप नहीं माना जाता, जब तक कि इसके समर्थन में स्पष्ट एवं विधिवत अभिलेख उपलब्ध न हो, वो भी ऐसी स्थिति में जब आंशिक भाग के पट्टे एवं सम्पूर्ण भूमि के पट्टे के पड़ौस एकसमान हो। अतः

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर पाली (राज.)

अति. जिला कलेक्टर, पाली

केवल अधिवक्ता प्रार्थी के कथनों एवं अनुमान के आधार पर यह निष्कर्ष निकालना विधिसंगत नहीं है कि प्रश्नगत पट्टा ओरण भूमि पर जारी किया गया है। साक्ष्य के अभाव में प्रार्थी का यह दावा केवल एक अप्रमाणित आरोप के रूप में रह जाता है, जिसे विधिक दृष्टि से स्वीकार नहीं किया जा सकता। इसके विपरीत, उपलब्ध अभिलेखों में पड़ौस की समानता एवं अन्य परिस्थितियाँ यह संकेत करती है कि भूमि का स्परूप पूर्ववर्ती पट्टों के अनुरूप ही है तथा उसमें किसी प्रकार का स्पष्ट भिन्नता का प्रमाण उपलब्ध नहीं है। फलस्वरूप, समस्त तथ्यों एवं साक्ष्यों के समेकित विश्लेषण के आधार पर यह निष्कर्ष निकलता है कि प्रार्थी द्वारा उठाया गया उज्र प्रमाणित नहीं हो पाया है एवं साक्ष्य के अभाव में स्वीकृत योग्य नहीं है।

अधिवक्ता प्रार्थी का दौराने बहस अन्य उज्र यह भी रहा कि जैर निगरानी पट्टा राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के नियम 157 के तहत जारी किया गया है जबकि नियम 157 के तहत 300 वर्गगज से अधिक क्षेत्रफल का पट्टा जारी नहीं किया जा सकता जबकि उक्त पट्टा 14300 वर्गफीट का जारी किया गया है। अधिवक्ता अप्रार्थी ने अधिवक्ता प्रार्थी के उपरोक्त कथन का खण्डन करते हुये निवेदन किया कि जैर निगरानी पट्टा वर्ष 1999 में जारी किया गया है और यदि पट्टे की वैद्यता को जांचा जाता है तो उस समय प्रभावी नियमों को देखा जायेगा। वर्ष 1999 में पट्टे के क्षेत्रफल के सम्बन्ध में कोई बाध्यता नहीं थी, ग्रामीण विकास और पंचायीराज विभाग की अधिसूचना दिनांक 11.02.2013 के द्वारा राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 को संशोधित करते हुये नियम 157 में 300 वगर्गज तक के क्षेत्रफल की बाध्यता रखी गयी तथा किसी भी अधिसूचना का भूतलक्षी क्रियान्वयन नहीं किया जा सकता। हस्तगत प्रकरण में प्रश्नगत पट्टा वर्ष 1999 में जारी किया गया था, उस समय नियमों में 300 वगर्गज की सीमा नहीं थी, अधिसूचना 2013 में जो नियम जोडे गए, उनका प्रभाव केवल अधिसूचना लागू होने के बाद के मामलों पर होगा, न कि पहले जारी पट्टों पर, इसे नियमों का समय पूर्व प्रभाव नहीं कहते है। प्रश्नगत पट्टे को उसी नियमावली के आधार पर मान्यता दी जाएगी, न कि बाद में जोडे गए नियम के आधार पर। इसलिये, 2013 की अधिसूचना के बाद जारी पट्टों पर 300 वर्गगज की सीमा लागू होगी, लेकिन वर्ष 1999 के पट्टे पर नहीं। न्यायालय अक्सर ''सतत् और वैध अधिकारों'' की रक्षा करता है, जो किसी पूर्व नियम या कानून के तहत प्राप्त हुए हों। सामान्यतः नयां कानून या नियम पूर्व में हुई घटनाओं या दिए गए अधिकारों पर लागू नहीं होता। जिसका तात्पर्य यह है कि पहले से प्राप्त या जारी अधिकार, निर्णय या पट्टे आदि को नए नियम से प्रभावित नहीं किया जा सकता। नए नियम का प्रभाव केवल नियम लागू होने के बाद की क्रियाओं या मामलों पर ही पडता है। भारतीय न्याय व्यवस्था में यह सिद्धान्त व्यापक रूप से मान्यता प्राप्त है कि ''नए कानूनों का पूर्व से प्राप्त अधिकारों पर कोई प्रभाव नहीं'' (No retrospective effect) यह न्यायसंगत और न्यायपालिका के संविधानिक सिद्धान्तों के अनुरूप भी है। इस सम्बन्ध में माननीय उच्चतम न्यायालय ने अपने न्यायिक दृष्टान्त AIR 1961 SC 1667 Union of India vs Tara Chand में कहा है कि कानूनों का प्रभाव भविष्य में होता है, न कि पहले हुए कार्यों पर। अगर कोई अधिकार पहले वैध रूप से दिया गया है, तो उसे नया कानून प्रभावित नहीं कर सकता। इसी प्रकार (2006) 3 SCC 1 Bharat Sanchar Nigam Ltd. vs Union of

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर पाली (राज.)

अति. जिला कलेक्टर, पाली

India में यह स्पष्ट किया कि जब कोई नया कानून या नियम बनता है, तो उसका प्रभाव केवल उसके लागू होने के बाद की घटनाओं पर पडता है। पुराने अधिकारों या अनुबंधों का प्रभावित नहीं किया जा सकता। साथ ही AIR 1955 SC 549 K.K. Verma vs Union of India में स्पष्ट कहा गया कि कानून का नियम तभी पुरानी घटनाओं पर लागू होता है जब उसमें स्पष्ट रूप से ऐसी मंशा व्यक्त की गई हों अन्यथा, कानून का प्रभाव भविष्य के लिए माना जाता है अर्थात् नियमों को प्रतिगामी प्रभाव देना तभी संभव है जब वह साफ तौर पर कानून में लिखा हो। इसी प्रकार अन्य न्यायिक दृष्टान्त AIR 1963 SC 884 Delhi Cloth & General Mills C. Ltd. vs Union of India में यह स्थापित किया कि नए नियम या आदेश पुराने मामलों पर लागू नहीं होंगे जब तब कि कानून में इसकी स्पष्ट व्यवस्था न हो अर्थात् पुरानी संपत्तियों या अधिकारों को नए नियम से प्रभावित नहीं किया जा सकता। उपरोक्त न्यायिक नजीरों से यह सुस्पष्ट है कि किसी नियम अथवा कानून का भूतलक्षी क्रियान्वयन (retrospective effect) नहीं किया जा सकता। प्रकरण में प्रश्नगत पट्टा वर्ष 1999 में जारी किया गया है और उपर वर्णित अधिसूचना वर्ष 2013 में जारी की गयी इसलिये उक्त अधिसूचना से किये गये संशोधन जैर निगरानी पट्टा को प्रभावित नहीं करेंगें।

जैर निगरानी याचिका में प्रश्नगत आज्ञा एवं उसकी पालना में जारी पट्टा राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 157 के तहत जारी किया गया है। ग्राम पंचायत के समक्ष अप्रार्थी द्वारा पट्टा जारी करवाने हेतु प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत करने पर ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 15.06.1999 को मिसल दर्ज की गई एवं उक्त मिसल में स्पष्ट अंकित है कि अप्रार्थी से आवेदन शुल्क, नक्शा बनाने एवं भूमि निरीक्षण के व्यय पेटे निर्धारित शुल्क 60/– रूपये जमा कर पत्रावली कायम की गई, जो यह दर्शाता है कि आवेदन नियमानुसार स्वीकार कर विधिक प्रक्रिया प्रारम्भ की गई। तत्पश्चात् आदेशिका दिनांक 17.06.1999 द्वारा ग्राम पंचायत सचिव को प्रश्नगत भूमि का नक्शा तैयार करने तथा मनोनीत पंचों को मौके का निरीक्षण करने हेतु निर्देशित किया गया। उक्त आदेशों की पालना में भूमि का नक्शा तैयार किया गया, जिसमें सीमाओं, पड़ौसियों एवं माप का स्पष्ट अंकन है तथा मौके का निरीक्षण कर पंचों द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की गई, जिस पर तीन पंचों के हस्ताक्षर अंकित है। इस प्रकार यह सिद्ध होता है कि ग्राम पंचायत द्वारा पट्टा प्रस्तावित करने, संस्तुति प्रदान करने एवं अग्रेषित करने की समस्त कार्यवाही पारदर्शी, तथ्यपरक एवं नियमसम्मत रूप से सम्पन्न की गई। यद्यपि प्रस्तुत प्रकरण में नक्शे पर सायल के हस्ताक्षर का अभाव परिलक्षित होता है तथापि यह केवल एक तकनीकी त्रुटि है, जो प्रक्रिया की मूल वैद्यता को प्रभावित नहीं करती, विशेषकर तब जब सम्पूर्ण अभिलेख यह दर्शाते है कि निरीक्षण, नक्शा निर्माण एवं स्वीकृति की प्रक्रिया पूर्ण की गई। यह भी महत्वपूर्ण है कि प्रश्नगत पट्टा विगत लगभग 26 वर्षों से प्रभावी एवं अस्तित्व में है, जिससे इसकी वैद्यता के पक्ष में एक सुदृढ़ धारणा निर्मित होती है, जिसे मात्र तकनीकी आधार पर खंण्डित नहीं किया जा सकता। ग्राम पंचायत ने आवेदन की प्रारंभिक जांच कर उसे दर्ज किया और बाद में मौका निरीक्षण करवाया तथा कई मामलों में नक्शा, भूमि निरीक्षण के दौरान ही तैयार करवाया जाता है, जो वैध प्रक्रिया है। माननीय उच्च न्यायालय ने कई मामलों में यह कहा है कि प्रांरभिक तकनीकी त्रुटि जैसे हस्ताक्षर न होना पट्टे को रद्द करने

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर पाली (राज.)

अति. जिला कलेक्टर, पाली

का कारण नहीं हो सकता जब तक कि कोई गंभीर गलत तथ्य सामने न आए। इस सम्बन्ध में माननीय न्यायालय ने न्यायिक दृष्टान्त Ghewar Chand & Anr. vs State of Rajasthan & Ors., 2017 में स्पष्ट किया कि तकनीकी या प्रारंभिक त्रुटि के आधार पर पट्टे को रद्द करना न्यायोचित नहीं है, खासकर जब पट्टा जारी किया जा चुका हो और अन्य प्रक्रियात्मक आवश्यक पूर्ण हो चुकी हो।

अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा यह भी आपत्ति प्रस्तुत की गई कि मौका निरीक्षण रिर्पोट पर मनोनीत पंचों के स्थान पर अन्य व्यक्तियों के हस्ताक्षर है किन्तु अभिलेखों के परीक्षण से यह स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत की आदेशिका के अनुसार तीन पंचों द्वारा ही मौका निरीक्षण किया गया तथा निरीक्षण रिपोर्ट पर तीन पंचों के हस्ताक्षर विद्यमान है। आदेशिका में पंचों के नाम अंकित है परन्तु रिपोर्ट पर पंचों के हस्ताक्षर के सम्बन्ध में कोई विसंगति है, तो वह एक तकनीकी त्रुटि है तथा आदेशिका से यह तथ्य निर्विवाद रूप से स्थापित है कि तीन पंचों द्वारा स्थल निरीक्षण किया गया, जिससे निरीक्षण का मूल उद्देश्य पूर्ण हो चुका है। साथ ही, निरीक्षण रिपोर्ट यह भी दर्शाती है कि पंचों द्वारा राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 146(3) में वर्णित "क से ड" के बिन्दुओं पर रिपोर्ट की, जो कि प्रकरण में वर्णित प्रावधानों के अनुरूप प्रक्रिया अपनाई जाकर कार्यवाही की गई जो विधिसम्मत है। भूमि पट्टे के सम्बन्ध में निर्णयों में यह सिद्धान्त लागू होते है कि लोकहित और पट्टाधारक की सुरक्षा को ध्यान में रखा जाए। इस सम्बन्ध में माननीय न्यायालय ने न्यायिक दृष्टान्त AIR 1967 SC 1715 हरियाणा राज्य बनाम करण सिंह में भी माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह स्पष्ट कि सरकार द्वारा भूमि के पट्टे जारी करने में तकनीकी त्रुटि होने पर सामाजिक और आर्थिक स्थिरता के कारण पट्टाधारक के हित की रक्षा की जानी चाहिए। हस्तगत प्रकरण में ग्राम पंचायत द्वारा प्रश्नगत पट्टा जारी करने से पूर्व आपत्तियाँ आमंत्रित करने हेतु आपत्ति इश्तिहार जारी किया गया। उक्त इश्तिहार के सहजदृश्य स्थान पर चस्पानगी के सम्बन्ध में दो स्वतंत्र व्यक्तियों के हस्ताक्षर अभिलेख पर उपलब्ध है, जिससे यह प्रमाणित होता है कि आपत्तियाँ आमंत्रित करने की प्रक्रिया विधिपूर्वक अपनाई गई। निर्धारित समयावधि में किसी भी व्यक्ति द्वारा कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गई, जिसके परिणामस्वरूप ग्राम पंचायत ने आदेशिका दिनांक 24.07.1999 के माध्यम से पंचायती राज के प्रावधानों के अन्तर्गत जैर निगरानी पट्टा जारी करने का निर्णय लिया। यद्यपि प्रकरण के अवलोकन से यह परिलक्षित होता है कि पट्टा जारी करने की प्रक्रिया के दौरान कुछ तकनीकी त्रुटिया विद्यमान रही है तथापि विधि का सुस्थापित सिद्धान्त है कि केवल तकनीकी त्रुटियों के आधार पर किसी वैध प्रशासनिक कार्यवाही को निरस्त नहीं करना चाहिए, विशेषकर तब जब कार्यवाही का मूल उद्देश्य एवं आवश्यक प्रक्रिया पूर्ण कर ली गई है। माननीय न्यायालय ने अपने विभिन्न निर्णयों में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया कि केवलमात्र तकनीकी त्रुटि के आधार पर पट्टे को खारिज नहीं किया जाना चाहिए। इस सम्बन्ध में माननीय न्यायालय ने न्यायिक दृष्टान्त State of Rajasthan vs Ram singh, 1978 में यह सिद्धान्त प्रतिपाद्धित किया कि जब पट्टा ग्राम पंचायत द्वारा जारी किया जाता है और प्रक्रिया पूरी होती है, तो केवल कुछ तकनीकी त्रुटि जैसे पंचों का नाम अंकित न होना, पट्टे की वैधता प्रभावित नहीं करता। हस्तगत प्रकरण की वस्तुस्थिति पर उपरोक्त समस्त न्यायिक दृष्टान्त पूर्णतया चस्पा होते है क्योंकि

अति. जिला कलेक्टर, पाली

अभिलेखों से यह स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा पट्टा आवंटन के लिए आवश्यक चरण पूर्ण किये है। अतः यह कहा जा सकता है कि प्रकरण में ग्राम पंचायत द्वारा अप्रार्थी के पक्ष में पट्टा जारी किये जाने के दौरान पट्टा आवंटन के सामान्य नियमों की पालना की है। इस प्रकार जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में जारी पट्टा विधिसम्मत है, इस कारण हस्तगत निगरानी याचिका में प्रश्नगत आज्ञा एवं उसकी पालना में जारी पट्टे को खारिज किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

परिणामस्वरूप अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी याचिका खारिज की जाती है तथा ग्राम पंचायत वणदार द्वारा मिसल संख्या 12/1999–2000 दायर दिनांक 15.06.1999, प्रस्ताव संख्या 9 दिनांक 24.07.1999 एवं उसकी पालना में अप्रार्थी लाबूराम के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 2541 दिनांक 10.08.1999 को यथावत रखा जाता है। निर्णय की सत्य प्रतिलिपि के साथ ग्राम पंचायत का अभिलेख लौटाया जावे।

निर्णय आज दिनांक 30/04/2026 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर सर–ए–इजलास सुनाया गया।

(डॉ. बजरंग सिंह)
अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली
अति. जिला कलेक्टर पाली

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर पाली (राज.)